न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
41/2023	04.04.2023	13.05.2024

उनवान

1. चांदी देवी पत्नी स्व0 नारायणसिंह उर्फ मूला दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी खोलपुरा पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. नर्बदा कंवर पुत्री स्व0 नारायणसिंह उर्फ मूला दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी खोलपुरा पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

विपक्षी

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री मांगी लाल सेन

–ः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–ः निर्णय :–

दिनांक 13/05/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ग्राम गुरला पटवार हल्का गुरला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– क्रमशः 1256 रकबा 0.6196 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1258 रकबा 0.3920 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया संख्या 01 के पति व प्रार्थीया संख्या 02 के पिता का नाम बिना किसी कारण के लिपिकीय त्रुटि व भूलवश से नारायण सिंह के बजाय मूला अंकित कर दिया गया है जबकि नारायण सिंह को बोलचाल की भाषा में मूला कहते थे। प्रार्थीयागण के पति व पिता के सभी सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, व प्रार्थीयागण के पति व पिता का जाति प्रमाण पत्र प्रार्थीया के स्वयं का आधार कार्ड, पहचान पत्र व विद्यालय की अंकतालिका में प्रार्थीयागण के पति व पिता का नाम नारायण सिंह अंकित है। अतः राजस्व रेकार्ड में मूला के बजाय नारायण सिंह दर्ज कराए जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी ग्राम गुरला सम्वत् 2076–2079 की खाते संख्या 74 की जमाबन्दी की नकल की प्रतिलिपि संलग्न की है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, व प्रार्थीयागण के पति व पिता का जाति प्रमाण पत्र प्रार्थीया के स्वयं का आधार कार्ड, पहचान पत्र व विद्यालय की अंकतालिका की फोटोप्रति संलग्न प्रस्तुत की है।

Ahlad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2023 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार का जवाब नहीं आया है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। ग्राम गुरला पटवार हल्का गुरला तह0 भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 1256, 1258 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0116 है0 भूमि किशना पुत्र कालु दरोगा, चांदी देवी पत्नी मूला दरोगा, नर्बदा देवी पुत्र मूला दरोगा सा0 देह हाल मुकाम भीलवाड़ा खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण ने अपने पति व पिता का नाम मूला के बजाय नारायण सिंह दर्ज कराने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, व प्रार्थीयागण के पति व पिता का जाति प्रमाण पत्र प्रार्थीया के स्वयं का आधार कार्ड, पहचान पत्र व विद्यालय की अंकतालिका में नारायण सिंह पुत्र कालु सिंह दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रेकार्ड में मूला कैसे दर्ज हुआ दस्तावेज संलग्न नहीं किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम मूला पिता कालु दरोगा के बजाय नारायण सिंह पिता मूला संशोधित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(अल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा